



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 437

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

NOTIFICATION No. 5 / 2017 State Tax (Rate)

S.O-35- Dated- 29th June, 2017-- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, heading, sub-heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in respect of which no refund of unutilised input tax credit shall be allowed, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on the output supplies of such goods (other than nil rated or fully exempt supplies).

TABLE

S. No.	Tariff item, heading, sub-heading or Chapter	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
2.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
3.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
4.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
5.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
6.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
7.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
8.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
9.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
10.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
11.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)
12.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
13.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
14.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
15.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Explanation. –

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes

of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2017

अधिसूचना सं 5/2017(दर) राज्य कर-

एस० ओ०-35- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017) 2017 का 54 की धारा (12 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों परमाल जिनका विवरण नीचे दी ,) भगई सारणी के स्तंभ 3 , उपशीर्ष या अध्याय , शीर्ष , है और टैरिफ मदमें विनिर्दिष्ट () उक्त सारणी के स्तंभ , यथास्थिति 2 के , हैं में यथा विनिर्दिष्टमें की तत्स्थानी प्रविष्टि (जिनकी बाबत अनुपयोज , अधीन आने वाले निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल , (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्नकी जावक पूर्ति (, पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद , उपशीर्ष , शीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
16.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
17.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
18.	5208 to 5212	कपास के व्यूतित फैब्रिक
19.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूतकागजी सूत ,
20.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
21.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
22.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
23.	8601	रेल लोकोमोटिव या विद्युत जो विद्युत के बाह्य स्रोत से , संचायकों द्वारा शक्ति है
24.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टैंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिवस्टीम लोकोमोटिव और उसके टैंडर ,
25.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोचके हैं 8604 जो शीर्ष , वैन और ट्रक ,
26.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान तः नोदितचाहे स्व , हैं या नहीं , ट्रेकलाइनर , बेलास्ट टैंपर , उदाहरणार्थ कर्मशालाएं (क्रेन) (परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान

27.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोचजो स्वतः नोदित नहीं हैं , सामान वैन , जो ,टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच उनसे भिन्न) स्वतः नोदित नहीं हैंजो शीर्ष (के हैं 8604
28.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगनजो स्वतः नोदित नहीं हैं ,
29.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल-बिसल ,स्टाक के पुर्जे बोगियां-धुरी और पहिए और उनके पुर्जे ,बोगिया
30.	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग; रेलों ,कोंसड़ ,ट्रामों , पत्तन संस्थापनों या ,पार्किंग सुविधाओं ,अंतर्देशीय जलमार्गों (जिसके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) क्षेत्रों के यांत्रिक-विमान पूर्वगामियों के ,संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर पुर्जे

स्पष्टीकरण-

- (1) इस सारणी में ,“टैरिफ मद” ,“उपशीर्ष” ,“शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम ,1975)1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद , शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है । ,उपशीर्ष
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम ,1975 की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसमें खंड और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण , इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे । ,जहां तक संभव हो
2. यह अधिसूचना 1, जुलाई 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वांकर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
